POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 01.06.2024

थाना सेक्टर-126 नोएडा द्वारा घरों में चोरी करने वाले शातिर गैंग के 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से विभिन्न चोरी की घटनायों से संबंधित 07 लैपटॉप, 19 मोबाइल फोन, 01 स्मार्ट वाच, 06 लैपटाप चार्जर, 02 ईयरबड्स, चोरी की घटना से संबंधित 01 चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध हथियार बरामद।

घटना का विवरण--दिनांक **24.05.2024** को वादिया हाल निवासी पी.जी. रायपुर सेक्टर-126 नोएडा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई थी कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक **24.05.2024** की सुबह उनके पीजी स्थित रूम से लैपटॉप व मोबाइल फोन चोरी कर लिया गया है। इसके अलावा उनके पड़ोस में रहने वाली उनकी महिला साथियों के भी लैपटॉप व मोबाइल फोन चोरी कर लिये गये है। इस सूचना पर थाना सेक्टर-126 पर मु0अ0सं0 130/24 धारा 380 भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था जिसके द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान करीब 80-90 सी.सी.टी.वी कैमरों की फुटेज का अवलोकन करते हुए अभियुक्तों की पहचान की गई। दिनांक **01.06.2024** को गोपनीय सूचना व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से थाना क्षेत्र के पुश्ता रोड रायपुर गाँव के सामने से चोरी की मोटरसाइकिल हीरो स्पेलेन्डर प्लस बिना नंबर प्लेट पर सवार दो अभियुक्त 1.मो0 इमरान पुत्र निजामुद्दीन 2.सुशील कुमार उर्फ टेरा पुत्र विष्णु को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से थाना सेक्टर-126 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 130/24 धारा 380 भादवि से संबंधित 02 लैपटॉप व 03 मोबाइल फोन व अन्य थाना क्षेत्रों की घटनायों से संबंधित 05 लैपटाप, 16 विभिन्न कंपनीयों के मोबाइल फोन, 01 स्मार्ट वाच, 02 ईयरबड्स, 06 लैपटॉप चार्जर, 02 मोबाइल चार्जर आदि एवं 02 अवैध तमंचे .12 बोर बरामद हुए है।

संक्षिप्त विवरण-- दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो अधिकांश गर्मीयों के दिनों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि रात्रि के समय कुछ लोग गर्मी के कारण अपने पीजी व अन्य किराये के कमरों को खोलकर सोते है। दोनों अभियुक्त रात्री में 02 बजे से प्रातः 06 बजे के बीच अधिकांश घटनायों को करते है। दोनों अभियुक्त ऐसे कमरों को घूम-घूमकर देखकर दबे पांव लैपटॉप, मोबाइल फोन व अन्य कीमती सामान

को चोरी कर ले जाते है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि अब तक लगभग 35-40 लैपटॉप व 100 से अधिक मोबाइल फोनों को चोरी कर बेच चुके है। इनके द्वारा बेचे गये चोरी के माल के संबंध में भी विस्तृत जानकारी की जा रही है ।

अभियुक्तों का विवरण--

1. मो0 इमरान पुत्र निजामुद्दीन निवासी नून नगर, रेलवे स्टेशन के पास लिसाडी गेट थाना लिसाडी गेट मेरठ उम्र 32 वर्ष।
2. सुशील कुमार उर्फ टेरा पुत्र विष्णु निवासी ग्राम यादनगर थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड वर्तमान निवासी झाड़िया कॉलोनी, बरौला थाना सेक्टर-49 नोएडा उम्र 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 07 विभिन्न चोरी की घटनायों से संबंधित लैपटॉप
2. 19 विभिन्न चोरी की घटनाओं से संबंधित कीमती मोबाइल फोन
3. 06 अलग-अलग कंपनीयों के लैपटॉप चार्जर
4. 02 मोबाइल चार्जर
5. 02 ईयरबड्स
6. 01 हैडफोन
7. 01 स्मार्ट वॉच
8. 02 तमन्चे .12 बोर
9. चोरी की मोटरसाइकिल स्पेलेन्डर प्लस बिना नंबर प्लेट

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 868/18 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा बनाम सुशील कुमार उर्फ टेरा।
2. मु0अ0सं0 1064/18 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा बनाम सुशील कुमार उर्फ टेरा।
3. मु0अ0सं0 1089/18 धारा 307 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा बनाम सुशील कुमार उर्फ टेरा।
4. मु0अ0सं0-1091/18 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम बनाम सुशील कुमार उर्फ टेरा
5. मु0अ0सं0-1262/18 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-49 नोएडा बनाम सुशील कुमार उर्फ टेरा।
6. मु0अ0सं0-200/20 धारा 60/63 अबकारी अधिनियम थाना सूरजपुर बनाम सुशील कुमार उर्फ टेरा।
7. मु0अ0सं0-130/24 धारा 380/411/414 भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सेक्टर-126 नोएडा बनाम सुशील कुमार उर्फ टेरा व मो0 इमरान।
8. मु0अ0सं0-78/24 धारा 380 भादवि थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा बनाम सुशील कुमार उर्फ टेरा व मो0 इमरान।
9. मु0अ0सं0-100/24 धारा 380 भादवि थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा बनाम सुशील कुमार उर्फ टेरा व मो0 इमरान।